

परियोजना का नाम:- उत्तराखण्ड राज्य में ऑल वेदर रोड परियोजना के अंतर्गत जनपद टिहरी गढ़वाल के राष्ट्रीय राजमार्ग-58 के कि०मी० 253.000 से कि०मी० 254.000 के मध्य में सड़क के चौड़ीकरण एवं सृढढीकरण हेतु हॉट मिक्सिंग प्लांट के लिए राष्ट्रीय राजमार्ग लोक निर्माण विभाग श्रीनगर का वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।

प्रारूप-2

भाग-1

(प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा भरे जाने के लिए)

1	क) अपेक्षित वन भूमि के लिए प्रस्ताव/परियोजना/स्कीम का संक्षिप्त विवरण।	उत्तराखण्ड राज्य में ऑल वेदर रोड परियोजना के अंतर्गत जनपद टिहरी गढ़वाल के राष्ट्रीय राजमार्ग-58 के कि०मी० 253.000 से कि०मी० 254.000 के मध्य में सड़क के चौड़ीकरण एवं सृढढीकरण हेतु हॉट मिक्सिंग प्लांट के लिए 0.180 हे० वन भूमि प्रभावित है।			
	ख) 1:50,000 स्केल मैप पर वन भूमि और उसके आस-पास के वनों की सीमाओं को दर्शाने वाला मैप।	परियोजना की कुल लंबाई 90 मी० है। संलग्न है।			
	ग) परियोजना की लागत।	रु० 248.22 करोड़			
	घ) वन क्षेत्र में परियोजना स्थापित करने का औचित्य।	उत्तराखण्ड राज्य के जनपद टिहरी गढ़वाल के राष्ट्रीय राजमार्ग-58 पर सड़क की चौड़ाई कम होने के कारण अक्सर वाहन दुर्घटना ग्रस्त होते हैं एवं जन हानि भी होती रहती है। अतः सड़क की चौड़ीकरण एवं सृढढीकरण का कार्य होना आवश्यक है।			
	ड.) लागत लाभ विश्लेषण (संलग्न किये जाने के लिए)	लगू नहीं है। (परियोजना 5.00 हे० से कम है)			
	च) रोजगार जिनके पैदा होने की संभावना है।	निर्माण कार्य से लगभग 100 (10 कुशल व 90 अकुशल) स्थानीय लोगों को रोजगार मिलेगा।			
2.	कुल अपेक्षित भूमि का उद्देश्यवार विवरण:	आरक्षित वन भूमि (हे०)	सिविल एवं सोयम भूमि (हे०)	वन पंचायत भूमि (हे०)	कुल वन भूमि (हे०)
		0.180	0.000	0.0000	0.180
3.	परियोजना के कारण लोगों को हटाने का विवरण, यदि कोई है				
	क) परिवारों की संख्या				
	ख) अनुसूचित जाति/जनजाति के परिवारों की संख्या	कोई नहीं।			
	ग) पुर्नवास योजना (संलग्न किये जाने के लिए)	कोई नहीं।			
4.	क्या पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के अन्तर्गत मन्जूरी आवश्यक है?	नहीं।			

परियोजना का नाम:- उत्तराखण्ड राज्य में ऑल वेदर रोड परियोजना के अंतर्गत जनपद टिहरी गढ़वाल के राष्ट्रीय राजमार्ग-58 के कि०मी० 253.000 से कि०मी० 254.000 के मध्य में सड़क के चौड़ीकरण एवं सृढीकरण हेतु हॉट मिक्सिंग प्लांट के लिए राष्ट्रीय राजमार्ग लोक निर्माण विभाग श्रीनगर का वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।

	(हाँ/नहीं)	
5.	प्रतिपूरक वनीकरण करने तथा उसके अनुरक्षण और या दण्ड स्वरूप प्रतिपूरक वनीकरण की लागत के साथ-साथ राज्य सरकार द्वारा तैयार की गई योजना के अनुसार संरक्षण लागत और सुरक्षा क्षेत्र आदि में पुनः वनीकरण की वयनवद्धता (वयनवद्धता संलग्न की जाये)	
6.	निर्देशों के अनुसार संलग्न अपेक्षित प्रमाण पत्रों / दस्तावेजों का ब्यौरा।	सूची संलग्न है जिसमें सनस्त विवरण उपलब्ध है।

दिनांक:- 15-2-18

स्थान:- श्रीनगर,


 अधिशासी अभियन्ता
 राष्ट्रीय राजमार्ग, लोक निर्माण विभाग
 श्रीनगर, उत्तराखण्ड,

प्रस्ताव की क्रम संख्या
 (प्राप्ति की तारीख के साथ नोडल अधिकारी द्वारा भरा जाएगा)